न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 35 / 2021 **GCMS 2021/39**

प्रार्थी

1. बाबूलाल पुत्र नाथूराम मेघवंशी निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान ।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 14.07.2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 144 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 3.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 638 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 704 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 705 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 706 रकबा 1.02 हैक्टर प्रार्थी के पिता नाथूराम की सहखातेदारी के अवस्थित रहे, प्रार्थी के पिता नाथूराम के स्वर्गवास होने पर उपरोक्त खसरा नम्बरान में जरिए उत्तराधिकार प्रार्थी के खातेदारी दर्ज की गई, परन्तु हल्का पटवारी ने राजस्व रेकार्ड में गलती से प्रार्थी के नाम के स्थान पर तुलछाराम पुत्र नाथूराम का नाम अंकित किया गया जबकि वास्तव में नाथूराम के तुलछाराम नाम का कोई भी वारिस नहीं था, नाथूराम की मृत्यु के बाद नामान्तकरण भरते वक्त स्लिप ऑफ पेन (लिपिकीय त्रुटि) से तुलछाराम अंकित कर दिया गया जबकि वास्तव में सही नाम बाबूलाल था, नाथूराम जी के तुलछाराम नाम का कोई भी पुत्र नहीं था, सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र नाथूराम अंकित है, अतः [illegible] भूमि में प्रार्थी का नाम तुलछाराम पुत्र नाथूराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र नाथूराम अंकित किये जाने के आदेश फरमावें एवं इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश प्रदान फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.07.29 17:47:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित भूमि सहखातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में बाबूलाल पुत्र नाथूराम दर्ज है।

प्रार्थी की ओर से जमाबंदी सम्वत 2069–2072, भामाशाह कार्ड की छाया प्रति, जन आधार कार्ड की छाया प्रति, पहचान पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी ने कथन किया है प्रार्थी का नाम बाबूलाल के स्थान तुलछाराम पुत्र नाथूराम सहवन से पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबूलाल पुत्र नाथूराम ही है जिस दुरूस्त फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत जमाबंदी नकल सम्वत 2069–2072 में तुलछाराम पुत्र नाथू दर्ज है, भामाशाह कार्ड संख्या YWUBQQF में बाबूलाल दर्ज है, जन आधार कार्ड परिवार पहचान संख्या 48577662884 में बाबूलाल नाम अंकित है, मतदाता पहचान पत्र संख्या GSR1608140 में बाबूलाल पुत्र नाथूराम अंकित है, आधार कार्ड संख्या 817289352652 बाबूलाल पुत्र नाथूराम आनन्दपुरा अंकित है, राशन कार्ड संख्या संख्या 008380600048 में बाबूलाल पुत्र नाथूराम आनन्दपुरा अंकित है। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम उसके पिता नाथूराम के फौत होने पर तुलछाराम के बजाय बाबूलाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए था, उपलब्ध रेकार्ड से उपरोक्त तथ्य साबित होते है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 144 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 3.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 638 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 704 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 705 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 706 रकबा 1.02 में अंकित अशुद्व प्रविष्टि तुलछाराम पुत्र नाथूराम के स्थान पर शुद्व प्रविष्टि बाबूलाल पुत्र नाथूराम दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 14.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.07.29 17:47:35 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)